

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)-462033

फोन : 0955-2938493, 2678897

फैक्स : 0955-29382006

ईपीएबीएस : 0955-2678897, 2678897

ईमेल : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net

वेबसाईट : www.rgpv.ac.in



RAJIV GANDHI PROUDHYOGIKI VISHWAVIDYALAYA

(State Technological University of Madhya Pradesh)

Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) - 462033

Phone : 0755 - 2734913, 2678897

Fax : 0755 - 2742006

EPABX: 0755 - 2678891, 2678881

Email : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net

Website : www.rgpv.ac.in

क्रमांक: एफ-5/शैक्षणिक/रागाप्रौवि/2023/4137

दिनांक: 22/9/2023

सूचना

बी.टेक./बी.फार्मेसी/बी. आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में संस्था स्थानांतरण हेतु

सत्र 2023-24 में मध्यप्रदेश के शासकीय, स्वशासी, निजी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्वाशासी एवं स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं/महाविद्यालयों, फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्थानांतरण के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे:-

01. संस्था स्थानांतरण की कार्यवाही म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 14-14/2007 बयालीस (1) भोपाल दिनांक 08 जुलाई 2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी (इस आदेश की प्रति संस्था की वेबसाईट पर उपलब्ध है।)
02. स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.rgpv.ac.in पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20/09/2023 के स्थान पर दिनांक 24/09/2023 रहेगी अथवा स्थानांतरण हेतु अर्हकारी परीक्षा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जून, 2023 परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के दो दिनों के अंदर रहेगी। (द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण हेतु अर्हकारी परीक्षा प्रथम वर्ष एवं तृतीय वर्ष में स्थानांतरण हेतु अर्हकारी परीक्षा द्वितीय वर्ष होगी।)
03. स्थानांतरण का आधार अर्हकारी परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों में प्राप्तांक होंगे।
04. मध्यप्रदेश के उपरोक्त उल्लेखित आदेश में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्थानांतरण हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ही आमंत्रित किये जाने हैं। अतः स्थानांतरण हेतु प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन ही प्रस्तुत करें। स्थानांतरण किये जाने के उपरांत स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जावेगा।
05. शैक्षणिक सत्र 2023-24 की स्थिति में द्वितीय वर्ष के लिये विश्वविद्यालय द्वारा काउंसलिंग 2023 के लिये जारी प्रथम वर्ष की रिक्तियों/स्थानों के विरुद्ध महाविद्यालय परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दोनों संस्थाओं की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) एवं पत्र में निर्देशित अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने के पश्चात हार्ड कापी कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गांधी नगर, भोपाल को निर्धारित तिथि के पूर्व व्यक्तिगत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
06. पूर्व के वर्षों में यह पाया गया है कि कई संस्थाएँ, छात्रों को स्थानांतरण के लिए एनओसी देते समय ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जारी कर देती हैं। ऐसे छात्रों के स्थानांतरण प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। छात्रों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिये जाते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी होने पर ही संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करें। यदि कोई छात्र संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी संस्था में स्थानांतरण के लिये पात्र नहीं होगा एवं वर्तमान संस्था में भी उसका स्वतः ही प्रवेश निरस्त हो जावेगा, ऐसी स्थिति के लिए छात्र स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
07. ऑनलाइन आवेदन सावधानी पूर्वक भरें एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करें। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे। जिसके लिये छात्र स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
08. महाविद्यालय स्थानांतरण हेतु प्रति छात्र रुपये 500/- शुल्क देय होगा। जो कि ऑन लाइन जमा किया जावेगा।
(माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन अनुसार)

कुलसचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

दिनांक: 22/9/2023

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ-5/शैक्षणिक/रागाप्रौवि/2023/4138

प्रतिलिपि

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निजसचिव माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, चतुर्थ तल, सतपुडा भवन, भोपाल-4620004
5. नियंत्रक (परीक्षा), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
6. डॉ. शशिरंजन अकेला, समन्वयक (सांस्कृतिक-जनसम्पर्क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
7. संचालक/प्राचार्य समस्त संबद्ध संस्था/महाविद्यालय/समस्त स्वशासी महाविद्यालय को इस अनुरोध के साथ कि आपके कार्यालय में संस्था स्थानांतरण हेतु आये अभ्यर्थियों को उपरोक्त तारतम्य में यह सूचित करने का कष्ट करें कि स्थानांतरण के लिए मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत ना करने की स्थिति में किसी भी आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

कुलसचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।